

# न्यायालय, समाहर्ता, सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

Order No. 62/19-18

देश पत्रक-ता0.....से.....

ला-खगड़िया.....सा0.....सन्.....

त का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने संबंध में।

श की क्रम  
और तारीख  
1.

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर  
02.

आदेश पर की गई  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी  
तारीख-संज्ञित

07.2017

अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया के पत्रांक 886/उ0, दिनांक 01.07.2017 से निरीक्षक उत्पाद, खगड़िया द्वारा विभिन्न कुल 15(पन्द्रह) कांडों में धारा-30(ए0) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 के अंतर्गत जप्त किये गये विदेशी शराब-105.570 लीटर, देशी शराब-29.00 लीटर एवं चूलाई शराब 68.00 एवं फुट बीयर-23.400 लीटर कुल-225.970 लीटर शराब मालखाना में सुरक्षित रखा गया है। देशी शराब कुल- 225.970 लीटर सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ जप्ती सूची, एवं अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया का अनुशंसा संलग्न है।

अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-57 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद कार्यालय स्थित विभिन्न कांड संख्या-15 में जप्त विदेशी शराब/देशी शराब कुल- 225.970 (दो सौ पचीस लीटर नौ सौ सत्तर एम0एल0) लीटर को अपने देख रेख में विनष्ट करें, तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करेंगे।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/निरीक्षक उत्पाद, खगड़िया/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।  
लेखापित एवं संशोधित .

समाहर्ता, खगड़िया।



समाहर्ता, खगड़िया।

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a signature at the bottom right.